कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी–6/रावि/स्थानांतरण/2019 दिनांक–29.09.2019 के तहत् श्री प्रकाश चन्द खटीक व्याख्याता, राजनीति विज्ञान राउमावि बबराणा, बनेड़ा, भीलवाड़ा का स्थानांतरण राउमावि बराटिया, हुरडा, भीलवाडा किया गया। श्री प्रकाश चन्द खटीक ने इस स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में याचिका संख्या 18724/2019 श्री प्रकाश चन्द खटीक बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की गई। एस.बी.सिविल याचिका संख्या 18724/2020 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.01.2020 द्वारा याचिकार्थी श्री प्रकाश चन्द खटीक का अभ्यावेदन विभागीय नियमानुसार एवं स्थानांतरण नीति के अनुसार निस्तारित किये जाने संबंधी आदेश दिए।

माननीय न्यायालय निर्णय के क्रम में याचिकार्थी श्री प्रकाश चन्द खटीक द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं के थायराइड रोग से पीड़ीत होने, पिता का गंभीर कैंसर रोग से पीड़ीत होने के कारण उनकी देखभाल करने एवं उनका उपचार करवाने तथा स्थानान्तरित स्थान मूल निवास स्थान से 100 किमी दूर होने के आधार पर अपना समायोजन राउमावि कोचरिया, सुवाणा, भीलवाड़ा/खैराबाद,सुवाणा, भीलवाड़ा अथवा राउमावि गाडरमाला, सुवाणा, भीलवाड़ा की परिवेदना प्रस्तुत की गई।

अपीलार्थी से प्राप्त संबंधित अभिलेखों का राज्य सरकार और विभाग के दिशा निर्देशों/परिपत्रों और नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर उनकी मांग पर विचार किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के संबंध में जारी दिशा–निर्देशों दिनांक 24.09.2019 के अनुसार राज्य सेवा के कार्मिकों में पूर्णतः दृष्टिहीन, 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय शल्य चिकित्सा, विधवा, परित्यक्ता एवं शहीद की वीरांगना से प्राप्त परिवेदनाओं को ही प्राथमिकता से स्थानांतरण के निर्देश प्राप्त है। अपीलार्थी इनमें से किसी भी श्रेणी से संबंध नहीं रखता है।

अपीलार्थी द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है, और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापन/स्थानान्तरण किया जा सकता है। अपीलार्थी द्वारा स्थानांतरित स्थान पर दिनांक 11.10.2019 को कार्यग्रहण किया जा चुका है। अतः अन्यत्र समायोजन की मांग तर्कसंगत नहीं है।

उपर्युक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अपीलार्थी द्वारा की गई मांग नियमानुकूल नहीं होने के कारण इनका अभ्यावेदन एतद् द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। सभी संबंधित पक्षकार सूचित होवें।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/मा/संस्था/सी–6/रावि/या. 18724/2019/प्रकाशचन्द/2020 दिनांकः–18/03/2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग ....।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा..........................।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा ....।
4. जि.शि.अ. (माध्य–विधि)...................................।
5. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
7. संबंधित प्राधानाचार्य/कार्मिक राउमावि/राबाउमावि ....।
8. गार्ड पंजिका।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर